



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN : U40101UP1980SGC005065



संख्या: 1941/मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2018-3(16)मा०सं०-04/2016

दिनांक 30 अक्टूबर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विषय :- सातवें वेतन आयोग (दि० 01.01.2016 से लागू) की पुनरीक्षित वेतन संरचना में मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

सातवें वेतन आयोग में (दि० 01.01.2016 से लागू) पुनरीक्षित वेतन संरचना में संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के सन्दर्भ में वित्त (सामान्य) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं० 3/2018/जी-1-102-दस-2018-226-2008 दिनांक 18.07.2018 को अंगीकृत करते हुए निगम की अपनी पुनरीक्षित वेतन संरचना में एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1160-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2018 दिनांक 26.10.2018 की अनुरूपता में उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के कार्मिकों को दिनांक 01.07.2018 से निम्न तालिका के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवेल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं०	वेतन मैट्रिक्स लेवेल	श्रेणी-अ के नगरों में	श्रेणी-ब के नगरों में	श्रेणी-स (अवगीकृत) के नगरों में	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	1	2320	1160	770	
2.	2	2400	1200	800	
3.	3	2440	1220	810	
4.	4	3000	1500	1000	
5.	5	3400	1700	1130	
6.	6	4040	2020	1340	
7.	7	5520	2760	1840	
8.	8	5620	2810	1870	
9.	g*	ग्रेड-वेतन रू० 5400	6300	3150	2100
		ग्रेड-वेतन रू० 6600	7560	3780	2520
10.	10	6300	3150	2100	
11.	11	7560	3780	2520	
12.	12	13820	6910	4600	
13.	13	14560	7280	4860	
14.	14	16400	8200	5460	
15.	15	17400	8700	5730	

* ऐसे कार्मिक, जिन्हें पूर्व में वेतन बेण्ड-2 रू० 9300-34800 में ग्रेड-वेतन रू० 6600/- की अनुमन्यता के आधार पर मकान किराया भत्ता आहरित हो रहा था, उन्हें इसी ग्रेड-वेतन के आधार पर उपरोक्त संशोधित दरों से मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता होगी।

(क्रमशः..... 2)

श्रेणी-अ, ब एवं स (अवर्गीकृत) में आने वाले नगरों/क्षेत्रों से सम्बन्धित तालिका

श्रेणी	नगरों / क्षेत्र
अ	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर), गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झाँसी तथा मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र।
ब	श्रेणी-‘अ’ के अतिरिक्त शेष सभी जिला मुख्यालय तथा नजीबाबाद, नगीना, चांदपुर, चन्दौसी, देवबन्द, रूड़की, कैराना, बड़ौत, भवाना, पिल्खुआ, मोदीनगर, खुर्जा, सिकन्दराबाद, सिकोहाबाद, सहसवान, शाहाबाद, गंगाघाट (जिला उन्नाव), उरई, बेला, नवाबगंज, टाडा, मुगलसराय, गंगोह, खतौली, कीरतपुर, शेरकोट, हसनपुर, मुरादनगर, लोनी, बेहटा, हाजीपुर, दादरी, जहांगीराबाद, उझानी, बहेड़ी, फरीदपुर, बीसलपुर, तिलहर, गोला गोकर्णनाथ, छिबरामऊ, कोंच, मउरानीपुर, राठ, मुबारकपुर, ओबरा, रेनूकोट के शहरी क्षेत्र। लहरपुर, बिस्वाँ, महमूदाबाद, आँवला, सण्डीला, स्योहारा (बिजनौर), अतरौली, गुलावठी (बुलन्द शहर), सरधना, वृन्दावन, कोशीकलॉ, टुण्डला, अयोध्या, गजरौला, काल्पी, तथा ग्रेटर नोएडा
स (अवर्गीकृत)	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र।

2. पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन-बैंड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड-वेतन/ वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल से है।
3. मकान किराया भत्ता अनुमन्यता के सन्दर्भ में पूर्व से लागू शर्तें एवं अन्य प्रतिबन्ध यथावत प्रभावी रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

सं० : 1941-(1)-मा०सं०(04)/उ०नि०लि०/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक ओबरा/अनपरा/पारीछा एवं मुख्य अभियन्ता, हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० रा०वि०उ०नि०लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/ पनकी(कानपुर)।
5. महाप्रबन्धक(मा०सं०)/मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, वित्त/लेखा/पी०पी०एम०एम०/ईधन/ पर्यावरण एवं सुरक्षा/ तापीय परिचालन/जानपद-नवपरियोजनायें/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन विधि से दिनांक 29.10.2018 को पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी०सी०/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक/अधी०अभि०(01/02/03/04/05/06)/टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद/वित्त/लेखा, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

क्रमशः 3 पर.....

(2)

10. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
11. अधिशासी अभियन्ता/उप सचिव(मा०सं०-०१/०२/०४/०५/रिफार्म) उ०प्र० रा०वि० उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०रा०वि० उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ०प्र० रा०वि० उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. कार्मिक अधिकारी(औद्योगिक सम्बन्ध), उ०प्र०रा०वि० उ०नि० लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. कट फाइल।

आज्ञा से,


(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता(मा०सं०-०४)